हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

वीरवार, 7 अप्रैल, 2016/18 चैत्र, 1938(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

    (1) **तारांकित :**

    दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

    (2) **अतारांकित :**

    दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

    सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

    1. हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 1);
    2. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 2); और
    3. हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 3) ।

3. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iv) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राजस्व क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(v) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(vi) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(vii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, निरीक्षक (होटलस), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: टी0एस0एम0-ए(3)-3/2016 दिनांक 22.03.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.04.2016 को प्रकाशित;

(viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) ; और

(ix) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40(7) तथा वायु(प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक लेखे वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) ।

(2) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक(औषधि), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: स्वास्थ्य-ए-ए(3)-3/2012 दिनांक 21.05.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.05.2014 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक(खाद्य), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: स्वास्थ्य-ए-ए(3)-2/2012 दिनांक 11.09.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.11.2014 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश दन्त स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, दन्त मैकेनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: स्वास्थ्य-ए-ए(3)-8/2011 दिनांक 28.11.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.02.2016 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश दन्त स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्या: स्वास्थ्य-ए-ए(3)-9/2011 दिनांक 20.09.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.09.2013 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग में पदाभिहित अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: स्वास्थ्य-ए-ए(3)-1/2013 दिनांक 14.07.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.07.2014 को प्रकाशित; और

(vi) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग में उप सरकारी विश्लेषक, वर्ग-II(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: स्वास्थ्य-ए-ए(3)-7/2007 दिनांक 19.10.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.01.2016 को प्रकाशित ।

((i) से (vi) तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम है)

(3) श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का 5वां वार्षिक प्रतिवदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित)

(4) श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम अधिनियम, 1979 की धारा 29(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र वर्ष 2012-13(विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) नियन्त्रक महालेखाकार परीक्षक अधिनियम, 1971 की धारा 19-क(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित)।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री बलबीर सिंह वर्मा**, "दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को दैनिक भास्कर में छपे समाचार शीर्षक **"कई क्षेत्रों में सेब, मटर व गोभी की फसलों को क्षति "** से उत्पन्न स्थिति की ओर **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज**, **"शिमला नगर निगम क्षेत्र में जनता को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति न होने"** से उत्पन्न स्थिति की ओर **शहरी विकास मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 8)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016

(2016 का विधेयक संख्यांक 9)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(iii) **श्री वीरभद्र सिंह,मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 10)	और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम,1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(iv) **श्री वीरभद्र सिंह,मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 11)	(नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(v) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव** करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा

हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 12)	(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971(1971का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016

(2016 का विधेयक संख्यांक 8)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016

(2016 का विधेयक संख्यांक 9)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iii) **श्री वीरभद्र सिंह,मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम,1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016

(2016 का विधेयक संख्यांक 10)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iv) श्री वीरभद्र सिंह,मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2016	(नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।
(2016 का विधेयक संख्यांक 11)	वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(v) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा

हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016	(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।
(2016 का विधेयक संख्यांक 12)	वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(vi) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016	मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।
(2016 का विधेयक संख्यांक 7)	वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्रीमती आशा कुमारी (4-डलहौजी),** डलहौजी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जोली-टेलरू सड़क का रख-रखाव जनहित में सुनिश्चित करवाने बारे उल्लेख करेंगी ।

(2) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल (5-भटियात),** भटियात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नामत: कुछेक सड़कों/पुलों का कार्य जनहित में शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(3) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़),** सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में आरम्भ की गई पंजाबी भाषा को राज्य की दूसरे नम्बर की भाषा घोषित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री सुरेश कुमार (55-पच्छाद),** पच्छाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्लानाघाट-बम्बयार-बडयार-जामन की सैर सड़क का कार्य जनहित में पुन: प्रारम्भ करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(5) **श्री बलदेव सिंह तोमर (59-शिलाई),** शिलाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय उच्च विद्यालय, पोका में जलवाहक की नियुक्ति बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(6) **श्री महेश्वर सिंह (23-कुल्लू),** सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े विभिन्न श्रेणियों के पदों को डाईंग केडर न घोषित करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(7) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़),** सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को प्रशासन की दृष्टि से नामत: तीन भागों में बांटने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(8) **श्रीमती आशा कुमारी (4-डलहौजी),** सिविल अस्पताल डलहौजी में तैनात 108 एम्बुलैंस को जनहित में शिफ्ट न करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगी ।

(9) **श्री जय राम ठाकुर (29-सिराज़),** चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर द्वारा कर्मचारियों की वर्ष 2010 से लम्बित पड़ी देनदारियों का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(10) **श्री किशोरी लाल (20-बैजनाथ),** जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत पत्थलयार के अन्तर्गत पशुचारे हेतु छोटे-छोटे पौधों के काटने से पर्यावरण पर पड़ रहे विपरित प्रभाव बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(11) **श्री रिखी राम कौंडल (46-झण्डुता),** घुमारवीं एन0ए0सी0 द्वारा सड़क किनारे/जंगल में ठिकाने लगाये जा रहे कुड़े-कचरे से जनमानस को हो रही असुविधा बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(12) **श्री सुरेश भारद्वाज (63-शिमला),** नगर निगम शिमला में सम्मिलित नये क्षेत्रों में मीटर रिडिंग अनुसार पानी के बिल जारी करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

शिमला-171 004
दिनांक: 6 अप्रैल, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)